रामचरण बनाम कल्याण वगैरा

मुकदमा दावा नं. 68 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24-6-15 वादीगण रामचरण वगैरा निवासी चूली की ओर से श्री रामदयाल त्रिवेदी एड० ने यह दावा हमारे समक्ष पेश किया। वकील वादीगण को सुना गया। दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जावे। पत्रावली दि० 30-6-15 को पेश हो। (initials)	
30-6-15	~~[illegible]~~ 30-6-15 पेश हुई। वादी नं 1 व 3 ता 5 प्रतिवादी 1, 2 उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] व वादी [illegible] दिनांक 3-7-15 को लोक अदालत कैम्प चूली में उप० होने हेतु निर्देशित किया गया। पत्रावली दि० 3-7-15 को कैम्प चूली में पेश हो। (initials)	कल्याण प्रसाद शर्मा (signature)
	3-7-15 ~~वकील~~ पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प चूली पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी नं० 1, 2 उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा ~~इस~~ पेश कर बताया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं० 1, 2 के पूर्वजों की खातेदारी भूमि रही है जो पूर्व में केवल भीनारायण की खातेदारी में दर्ज हो गई थी। इसमें वादीगण 1 ता 4 का $\frac{1}{4}$ हिस्सा, वादीगण 5 ता 11 का $\frac{1}{4}$ हिस्सा है व पक्षकार इसी अनुसार भूमि पर काबिज हैं।	कल्याण [illegible] (signature)

Signatures in left margin:

रामचरण शर्मा
रमेश चन्द्र शर्मा
गोविन्द शर्मा
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत दस्ता अनुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जावे। रिकार्ड मे दुरुस्ती कर दी जावे। प्रस्तुत राजीनामा, दावे मे प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजीनामा व अभिलेख के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रा० फौ.सलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (हस्ताक्षर) (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
68/2015	24.06.2015	3.7.2015

1. रामचरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामकरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र मुरारीलाल, ब्राह्मण निवासी सिविल लाइन खण्ड गांवडी कोटा
4. कमलाबाई बेवा मुरारीलाल, ब्राह्मण निवासी सिविल लाइन खण्ड गांवडी कोटा
5. गोविन्द प्रसाद पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. नरोत्तम पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
7. प्रेमदेवी बेवा रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. कैलाशचन्द पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. शिवजीराम पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10. सूरजमल पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11. बृजभूषण पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र श्रीनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामदयाल पुत्र हजारी, ब्राह्मण निवासी चूली हाल वासी खिडखिडा (रीछोटी खिडखिडा) तहसील सपोटरा जिला करौली ।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः– वादीगण रामचरण वगैरा
प्रतिवादीगण कल्याण, रामदयाल वगैरा

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एक ही कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग कन्हैया के 4 सन्तान श्रीनारायण, हजारीलाल, जयनारायण, जौहरी थे जिनकी मृत्यु आज से कई वर्ष पूर्व हो चुकी है। श्रीनारायण का पुत्र कल्याण प्रतिवादी संख्या 1 है व हजारीलाल के पुत्र रामदयाल है। जयनारायण के 3 पुत्र मुरारीलाल, रामचरण वादी सं0 1, रामकरण वादी सं0 2 है। मुरारीलाल की मृत्यु दिनांक 25.12.80 को हो चुकी है। मुरारीलाल का पुत्र रमेश वादी संख्या 3 व उसकी बेवा कमलाबाई वादी सं0 4 है। जौहरीलाल के पांच पुत्र रामभरोसी(मृतक) कैलाश वादी संख्या 8, शिवजीराम वादी संख्या 9, सूरजमल वादी संख्या 10 एवं बृजभूषण वादी संख्या 11 है जिनमें रामभरोसी की मृत्यु दिनांक 21.2.12 को हो चुकी है। गोविन्दप्रसाद वादी संख्या 5 व नरोत्तम वादी सं0 6 रामभरोसी के पुत्र हैं तथा प्रेमदेवी वादी संख्या 7 बेवा पत्नि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग कन्हैया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पैत्रक भूमि एकीकरण से पूर्व बन्दोवस्त में ख0नं0 137/1 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 137/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1061/2 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख0नं0 1106 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 1107 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 1177 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, ख0नं0 1112 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा ग्राम चूली में स्थित है। कन्हैया की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के पिता स्व0 श्रीनारायण के नाम बडा पुत्र एवं कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गई। इस भूमि के सम्बत् 2003 में ख0नं0 262, 1347, 1364, 1379, 1380, 1476, 1565, 1566, 1378/1593 कायम हुए तथा एकीकरण सं0 2017 में ख0नं0 618 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, 634 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, 635 रकबा 2 विस्वा, 690 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा, 880 रकबा 10 बीघा 17 विस्वा, 912 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा कायम हुए। इनके सेटिलमेंट में ख0नं0 1416 रकबा 47 एयर, 1418 रकबा 35 एयर, 1419 रकबा 83 एयर, 1420 रकबा 30 एयर, 1423 रकबा

कलेक्टर

93 एयर, 1597 रकबा 45 एयर, 1598 रकबा 29 एयर, 1636 रकबा 50 एयर, 1637 रकबा 5 एयर, 1670 रकबा 42 एयर, 1751 रकबा 31 एयर, 1752 रकबा 78 एयर, कुल रकबा 5.68 हैक्टर बने हैं। यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है जिसमें वादी 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा, वादी 5 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्गो ने मौके पर अपने हिस्से अनुसार सर नरस कर विभाजन कर रखा है और अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में कन्हैया की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कल्याण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि गलती से दर्ज चली आ रही है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 के नाम उनके हिस्से के अनुसार भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के पिताओं ने राजस्व अभियान में इस बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर दिनांक 13.4.75 को ग्राम पंचायत चूली द्वारा नामान्तरकरण सं0 258 दिनांक 13.4.75 तस्दीक किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण इस नामान्तरकरण का रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ । इस गलती के कारण पक्षकारो में आये दिन विवाद होते रहते हैं। दिनांक 20.6.15 को वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 से वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने को कहा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को साथ लेकर प्रतिवादी संख्या 3 के यहां जाकर नामान्तरकरण संख्या 258 दिनांक 13.4.75 के आधार पर हाल रिकार्ड में इन्द्राज करने को कहा तो प्रतिवादी नं0 3 ने रिकार्ड में अमल करने से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय से घोषणां खातेदारी की डिक्री लाने को कहा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ख0नं0 1416 रकबा 47 एयर, 1418 रकबा 35 एयर, 1419 रकबा 83 एयर, 1420 रकबा 30 एयर, 1423 रकबा 93 एयर, 1597 रकबा 45 एयर, 1598 रकबा 29 एयर, 1636 रकबा 50 एयर, 1637 रकबा 5 एयर, 1670 रकबा 42 एयर, 1751 रकबा 31 एयर, 1752 रकबा 78 एयर, कुल रकबा 5.68 हैक्टर ग्राम चूली में वादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/4 हिस्से (अर्थात वादी सं0 1 का 1/2, वादी सं0 2 का 1/12, वादी सं0 3, 4 का 1/12 हिस्सा) वादीगण 5 लगायत 11 को 1/4 हिस्से (अर्थात वादी सं0 5 ता 7 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 8 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 9 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 10 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 11 का 1/20 हिस्सा) का काबिज खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का इसी प्रकार नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रतिवादी सं0 3 को प्रदान किए जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित लोक अदालत ग्राम चूली में रखी गई। लोक अदालत में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1, 2 उपस्थित हुए। पक्षकारों ने लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी नं0 1, 2 ने वादीगण का दावा डिक्री करने में कोई आपत्ती नहीं होना स्वीकार किया ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073, नकल जमाबंदी सं0 2017, नकल जमाबंदी सं0 2003, नकल जमाबंदी सं0 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, नकल रजिस्टर चकबन्दी, नकल नामान्तरकरण सं0 258 दिनांक 13.7.75 पेश किए हैं।

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल रजिस्टर चकबन्दी के अनुसार ख0नं0 137/1 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 137/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 1061/2 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख0नं0 1106 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 1107 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 1177 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, ख0नं0 1112 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा ग्राम चूली कन्हैया पुत्र भोला ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 लगायत 2022 के अनुसार ख0नं0 262, 1347, 1364, 1379, 1380, 1476, 1565, 1566, 1378/1593 कुल रकबा 23 बीघा 15 विस्वा ग्राम चूली श्रीनारायण पुत्र कन्हैया ब्राह्मण के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2017 के अनुसार ख0नं0 618 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, 634 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, 635 रकबा 2 विस्वा, 690 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा, 880 रकबा 10 बीघा 17 विस्वा, 912 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा कुल रकबा 25 बीघा

जिला कलेक्टर

5

1 विस्वा श्रीनारायण पुत्र कन्हैया ब्राह्मण के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के अनुसार ख0नं0 1416 रकबा 47 एयर, 1418 रकबा 35 एयर, 1419 रकबा 83 एयर, 1420 रकबा 30 एयर, 1423 रकबा 93 एयर, 1597 रकबा 45 एयर, 1598 रकबा 29 एयर, 1636 रकबा 50 एयर, 1637 रकबा 5 एयर, 1670 रकबा 42 एयर, 1751 रकबा 31 एयर, 1752 रकबा 78 एयर, कुल रकबा 5.68 हैक्टर ग्राम चूली कल्याण पुत्र श्रीनारायण ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज है। प्रस्तुत अभिलेख एवं राजीनामे के अनुसार वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हक नीहित है एवं राजीनामे के अनुसार वादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि में अपना हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0नं0 1416 रकबा 47 एयर, 1418 रकबा 35 एयर, 1419 रकबा 83 एयर, 1420 रकबा 30 एयर, 1423 रकबा 93 एयर, 1597 रकबा 45 एयर, 1598 रकबा 29 एयर, 1636 रकबा 50 एयर, 1637 रकबा 5 एयर, 1670 रकबा 42 एयर, 1751 रकबा 31 एयर, 1752 रकबा 78 एयर, कुल रकबा 5.68 हैक्टर ग्राम चूली में वादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/4 हिस्से (अर्थात वादी सं0 1 का 1/12, वादी सं0 2 का 1/12, वादी सं0 3, 4 का 1/12 हिस्सा) वादीगण 5 लगायत 11 को 1/4 हिस्से (अर्थात वादी सं0 5 ता 7 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 8 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 9 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 10 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 11 का 1/20 हिस्सा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3.7.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलां

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

1. रामचरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामकरण पुत्र जयनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र मुरारीलाल, ब्राह्मण निवासी सिविल लाइन खण्ड गांवडी कोटा
4. कमलाबाई बेवा मुरारीलाल, ब्राह्मण निवासी सिविल लाइन खण्ड गांवडी कोटा
5. गोविन्द प्रसाद पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
6. नरोत्तम पुत्र रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
7. प्रेमदेवी बेवा रामभरोसी, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
8. कैलाशचन्द पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
9. शिवजीराम पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
10. सूरजमल पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
11. बृजभूषण पुत्र जौहरीलाल, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र श्रीनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. रामदयाल पुत्र हजारी, ब्राह्मण निवासी चूली हाल वासी खिडखिडा (रीछोटी खिडखिडा) तहसील सपोटरा जिला करौली ।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. — 68/2015

वादीगण की ओर से वादी रामचरण व अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी कल्याण, रामदयाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 3.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0नं0 1416 रकबा 47 एयर, 1418 रकबा 35 एयर, 1419 रकबा 83 एयर, 1420 रकबा 30 एयर, 1423 रकबा 93 एयर, 1597 रकबा 45 एयर, 1598 रकबा 29 एयर, 1636 रकबा 50 एयर, 1637 रकबा 5 एयर, 1670 रकबा 42 एयर, 1751 रकबा 31 एयर, 1752 रकबा 78 एयर, कुल रकबा 5.68 हैक्टर ग्राम चूली में वादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/4 हिस्से (अर्थात वादी सं0 1 का 1/12, वादी सं0 2 का 1/12, वादी सं0 3, 4 का 1/12 हिस्सा) वादीगण 5 लगायत 11 को 1/4 हिस्से (अर्थात वादी सं0 5 ता 7 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 8 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 9 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 10 का 1/20 हिस्सा, वादी सं0 11 का 1/20 हिस्सा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से औरं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
जोड		जोड

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(1) प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— चूली

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 3-7-2015

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी
रामचरण वगैरा बनाम कल्याण वगैरा
प्रकरण संख्या :— 68/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री रामचरण शर्मा S/o श्री जयनारायण शर्मा नि० चूली है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई, अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :—

भूमि ख० नं० 1416/0.47, 1418/0.35, 1419/0.83, 1420/0.30, 1423/0.93, 1597/0.45, 1598/0.29, 1636/0.50, 1637/0.65, 1670/0.42, 1751/0.31, 1752/0.78, ग्राम चूली वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1, 2 के बुजुर्गों की खातेदारी की भूमि थी जो पूर्व में केवल श्रीनारायण की खातेदारी में दर्ज हो गई है जबकि इसमें वादीगण 1 ता 4 का 1/4 हिस्सा, वादी 5 ता 11 का ... हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज है। अतः उपरोक्त
अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तरदीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

1. रामचरन शर्मा
2. रामकरणशर्मा
3. श्रीरामचन्द्र शर्मा नि० कमला
4. ...

प्रतिवादी पक्ष 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

वादी के हस्ताक्षर ... पहचानकर्ता ... अध्यापक ... गंगापुर सिटी

सरपंच नाम ...
ग्राम पंचायत चूली
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ... प्रधानाचार्य
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ...
ग्राम पंचायत चूली गंगापुर सिटी

प्रार्थी/वादी ... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी ...
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तरदीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)
(सतीशकुमारशर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेवयादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी